न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
017/2017 (GCMS 2017/00058)	02.08.2017	05.04.2021

अनवान

1. छीतर मोहम्मद पिता नाथु मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी सुभाषनगर (बडोदिया) तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. छोटु मोहम्मद पिता नाथु मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी सुभाषनगर (बडोदिया) तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट्स

बनाम

1. जगदीश पिता राधाकिशन जाति मीणा आयु वयस्क निवासी बडोदिया तहसील रावतभाटा हालमुकाम अग्रवाल नमकीन के सामने बाजार नंबर 3 रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।
3. गनी मोहम्मद पिता नाथु मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी सुभाषनगर (बडोदिया) तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. सलीम मोहम्मद पिता नाथु मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी सुभाषनगर (बडोदिया) तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेंट्स

–:: प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बनाराजगी निर्णय व आदेश न्यायालय तहसीलदार साहब रावतभाटा बअनवान प्रकरण जगदीश बनाम छीतर वगैरा प्रकरण संख्या 06/2016 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 (ब) (स) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निर्णय दिनांक 14.09.2016 ::–

उपस्थिति :–	श्री जितेन्द्र औझा	अधिवक्ता अपीलांट
	श्री छोगालाल जाट	अधिवक्ता रेस्पोटेंट 1
	श्री भैरूलाल सालवी, (राजकीय अधिवक्ता)	रेस्पोडेंट संख्या 2
	अनुपस्थित	रेस्पोडेंट संख्या 3,4

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने रेस्पोडेन्ट्स के विरुद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:56 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार रावतभाटा बमिसल कमांक 06/2016 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.09.2016 पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट जगदीश ने प्रार्थी बनकर अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 (ब) (स) के तहत अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्टगण/विपक्षीगण संख्या 3 व 4 के विरुद्ध इस आशय का पेश किया कि मौजा ग्राम बडोदिया पटवार हल्का बडोदिया तहसील रावतभाटा में प्रार्थी की आराजी जो जमाबंदी संवत् 2070–2073 में खाता संख्या 60 में आराजी संख्या 210 रकबा 0.16 आराजी संख्या 247 रकबा 1.05, आराजी संख्या 261 रकबा 0.44, आराजी संख्या 264 रकबा 0.68, आराजी संख्या 546 रकबा 2.16 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.49 प्रार्थी की मालिकाना हक की होकर प्रार्थी की कब्जे काश्त की है ओर आगे बताया कि प्रार्थी हाल में रामगंजमण्डी निवास कर रहा है जिसका नाजायज फायदा उठाकर आराजी संख्या 264 पर विपक्षीगण ने कब्जा कर लिया जिसे बेदखल किया जावे उक्त प्रार्थनापत्र का विपक्षीगण को जवाब का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही व न दोनों पक्षों के प्रकरण में साक्ष्य सबूत लिए बिना व विपक्षी गनी मोहम्मद की प्रकरण में तामिल हुए बिना ही कानून के खिलाफ जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया कि अप्रार्थीगणों को आराजी संख्या 264 से बेदखल कर दिया जावें, विधि विपरित जाकर जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिया हैं उसी से असंतुष्ट होकर यह अपील आप श्रीमान की सेवा में पेश की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व कानुन के खिलाफ होकर निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.06.2016 को उक्त प्रार्थनापत्र प्रार्थी ने पेश किया जिसे 29.06.2016 को दर्ज कर पेशी दिनांक 04.07.2016 व 28.07.2016 वास्ते तामिल विपक्षीगण हेतु नियत की गई। जिस पर अपीलाण्टगण व विपक्षी सलीम मोहम्मद ने दिनांक 28.07.2016 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिती दी तथा जवाब का अवसर चाहा आगामी पेशी दिनाक 26.08.2016 को जवाब का अवसर देकर आगामी पेशी दिनांक 14.09.2016 को जवाब बंद कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला सुना दिया जब कि प्रकरण में विपक्षी गनी मोहम्मद की तामिल होना बाकि थी जिसका सम्मन जारी नही किया व न साक्ष्य सबूत लिए कानून के खिलाफ जाकरयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में निर्णय कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होकर निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त विवादित आराजीयात आराजी संख्या 264 जो ग्राम बडोदिया में है जिस पर अपीलांट/विपक्षीगण का कब्जा है। प्रार्थी का कभी भी कब्जा इस आराजीयात पर नहीं रहा है। प्रार्थी कभी ग्राम बडोदिया में नही रहा है प्रार्थी प्रारम्भ से ही रामगंजमण्डी में रहता आ रहा है। उक्त विवादित आराजी संख्या 264 जिसके पुराने नक्बर 96 होकर रकबा 3)3 है जो संवत 2033–2036 की जमाबंदी से स्पष्ट है जिसमें अपीलाण्ट/ विपक्षीगण के पिताजी नाथु पिंजारा व मु0 नन्दु बेवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नुरा पिंजारा के नाम है नाथु व नुरा दोनों भाई होकर कालु जी की संतान थी नुराजी के मरने के बाद नुराजी की जगह मु0 नन्दु का नाम खाते में अंकन हो गया। नाथुजी व नुरा को कालुजी से यह संपति विरासत से प्राप्त हुई थी। अपीलांटगण/विपक्षीगण इस आराजी, पर अपने बापदादाओ के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, साक्ष्य में जमाबंदिया व खसरा गिरदावरी व सेटलमेंन्ट की नकल पेश है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में योग्य अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी साहब बडोदिया द्वारा मौका की रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट में पटवारी साहब ने आराजी संख्या 264 रकबा 0.68 हैक्टर पर अपीलाण्ट विपक्षीगण छीतर, छोटु, सलीम, गनी पिता नाथु पिंजारा निवासी बडोदिया का कब्जा काश्त माना है इस प्रकार यह साबित है कि प्रार्थी जगदीश का इस आराजी पर कब्जा कभी रहा ही नहीं है ओर नहीं प्रार्थी ने उक्त आराजी को काश्त की है ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी का विवादित आराजी पर कब्जा ही नहीं है तो प्रार्थी जगदीश को बेदखल करने का जो कथन प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में अंकित किया है वह सर्वथा झूठा व मनगढन्त लिखा गया है इस और योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नही दिया जो योग्य अधीनस्थ न्यायालय की गंभीर भूल है। उक्त विवादित आराजीयात में अपीलांट के पिताजी नाथुजी व नुराजी का संयुक्त अविभाजित आधा आधा हिस्सा था। नुराजी के मरने बाद नुराजी पत्नी नंदु के नाम इन्तकाल खुल गया। उक्त आराजीयात का बिना पाति बंटवाडा कराए नंदुबाई ने पूरी आराजी संख्या पुरानी 96 नई 264 को रेस्पोडेण्ट जगदीश को दिनांक 06.06.1964 को विक्रय कर दिया जब कि नन्दू उक्त आराजी की 1/2 हिस्से की अधिकारिणी उसे अविभाजित संयुक्त परिवार की पूरी आराजी को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। साक्ष्य में खाते की नकल व विक्रयपत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत है। अवैध बिकाव पत्र के आधार पर रेस्पोडेंट जगदीश नाम केवल मात्र खाते में दर्ज हो गया जब कि कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है तथा अपीलांट अपनी पुश्तैनी आराजी को बाप दादाओं के समय से काश्त करता चला आ रहा है। पुरानी जमाबंदियॉ व खाते की नकल व सरकारी दस्तावेज रेकार्ड से यह साबित है कि यह आराजी संख्या 264 नंदुबाई की खरीदी हुई नहीं थी। नंदु के पति नुरा की खरीदी हुई नही थी। नंदु के ससुर कालुजी पिताजी के समय से ही यह पुश्तैनी जायदाद पुश्तैनी विरासत से चली आ रही थी, और जिस समय यह फर्जी बिकाव खत तैयार हुआ उस समय भी यह संपत्ति अविभाजित परिवार की पुश्तैनी जायदाद थी। इसमें नाथु व नुरा दोनों भाइयों में इस भू–सम्पति को कोई भी किसी भी प्रकार से पाति बंटवाडा नहीं हुआ था। और जब तक पांति बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक कोई यह नहीं कह सकता कि मेरा हिस्सा कौनसा है बगैर कानूनी आवश्यकता के यह पुश्तैनी जायदाद किसी प्रकार से ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। यह जो बिकाव खत है इस बिकाव खत से इस जायदाद का कब्जा बेचने वाले ने खरीददार को दिया है यह बिकाव खत में नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। इसमे यह लिखा है कि यह जायदाद पहले से ही रहन बिल कब्ज है। ओर पहले से ही रहन बिल कब्ज कब से ओर रहन की रजिस्ट्री कब कराई थी इसका कोई भी वर्णन बिकाव खत में नहीं है वास्तविक स्थिति यह है कि यह जायदाद कभी भी रहन बिल कब्ज नहीं रही हूँ। तथाकथित बिकाव के दिन भी यह बिकाव खत पुर्णतया शून्य हैं। दोनों भाईयों का पूरा खाता केवल दोनों भाई नुरा व नाथु मिलकर बेच सकते थे अकेले नंदुबाई ने बेचा इसलिए पुरा बिकाव खत शून्य है। इस शून्य बिकाव खत से किसी को कोई हक पैदा नहीं होता है। नंदु को कोई हक नहीं था कि वह दोनों भाईयों नाथु व नुरा के सम्पुर्ण हक को बेच दे जब तक पांति बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक नंदु नहीं कह सकती कि नुरा का हिस्सा कौनसा है इसलिए नंदु को नुरा का हिस्सा बेचने का हक नहीं था। जब कि नंदु ने नाथु व नुरा दोनों का हिस्सा बेच दिया वास्तव में नाथु व नुरा में कोई पांति बंटवाडा नहीं हुआ था। इसलिए नंदु को बेचने का हक नहीं था। नाथु व नुरा इन दोनों भाइयों की आराजीयो पर किसी भी मीणा का हक अधिकार कब्जा नहीं रहा हैं। इस काल्पनिक रहन बिल कब्ज से कभी कोई कब्जा ट्रांसफर नहीं हुआ। इसलिए धारा 183 (ब) (स) का प्रार्थनापत्र स्वतः झूंठा है। जब किसी संपति पर प्रार्थी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा हैं तब यह कथन सर्वथा मिथ्या है कि मंसूरियों यानि विपक्षीगणों ने मीणा से यानि प्रार्थी से कभी भी कब्जा छिना हो इसलिए धारा 183 की दरख्वाश्त पुरे झूंठे तथ्यों पर आधारित हैं ओर यह दरख्वाश्त हर प्रकार से खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण/अपीलांट की स्वामित्व व आधिपत्य व कब्जे काश्त की ग्राम बडोदिया में स्थित आराजी संख्या 264 पर रेस्पोडेंट व अन्य व्यक्ति प्रार्थीगण को बेदखल करने आए और बताया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को आराजी संख्या 264 से बेदखली का आदेश दे दिया है तब अपीलाण्ट ने तुरंत न्यायालय में जाकर निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 29.06.2017 को नकल प्राप्त कर नकल प्राप्त होते ही अपने अधिवक्ता से सर्पक कर बिना किसी देरी से यह अपील आप श्री मान के समक्ष पेश की जा रही है अपील में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु अपीला।ट की ओर से कानून मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाया जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 14.09.2016 मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे व आराजी संख्या 264 ग्राम बडोदिया का कब्जा अपीलांटगण को वापिस दिलाया जावे।

इस पर अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 06.09.2017 को रेस्पोडेंट संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो कि शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर तहसीलदार रावतभाटा के पत्रांक/राजस्व/2019/1356 दिनांक 04.02.2019 से उनकी पत्रावली संख्या 006/2016 अनवानी जगदीश बनाम छीपर वगैराह अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है।

दिनांक 30.03.2021 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आयें। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की सहमति से प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। सर्वप्रथम उभयपक्षकारान को मियाद प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांट की स्वामित्व व आधिपत्य व कब्जे काश्त की ग्राम बडोदिया में रेस्पोडेण्ट व अन्य व्यक्ति आए ओर बताया कि श्री योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टगण को आराजी संख्या 264 से बेदखली का आदेश दे दिया है तब अपीलाण्ट ने तुरंत न्यायालय में जाकर निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 29.06.2017 को नकल प्राप्त कर नकल प्राप्त होते ही अपने अधिवक्ता से सर्पक कर बिना किसी देरी से यह अपील आप श्री मान के समक्ष पेश की जा रही है अपील में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण का अपील देरी से पेश करने का कारण माकुल रहा है प्रार्थी ने जानबुझकर अपील पेश करने में देरी नही की है इस कारण अपील में हुई देरी को क्षम्य किया जावें। इस पर अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.08.2016 पर अपीलांट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है एवं आगामी पेशी दिनांक 14.09.2016 को अपीलांट जानबूझकर अनुपस्थित रहें। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को आदेश दिनांक 14.09.2016 की जानकारी होने के बावजूद अपीलांट्स द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं अपीलांट द्वारा विलम्ब को कोई युक्ति–युक्त कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट की और से अपील दिनांक 25.07.2017 को प्रस्तुत की गई है, ऐसी स्थिति में दिनांक 14.09.2016 से 25.07.2017 तक विलम्ब जो कि दीर्घ कालीन विलम्ब है जिसका अपीलांट द्वारा कोई संतोषप्रद कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस मियाद के रिवटल में निवेदन किया कि अपीलांट की न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते रखने हेतु अवसर चाहा एवं पत्रावली तलबी में ही नियत की गई एवं आगामी पेशी दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय आदेश पारित कर दिया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं दी गई ऐसी स्थिति में अपीलांट को निर्णय दिनांक 14.09.2016 की जानकारी प्राप्त नहीं हुई एवं इसी आशय का शपथ पत्र न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अतः अपील प्रस्तुती में हुई समस्त देरी को क्षम्य किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण जायदाद से संबंधित है एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों से प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के बिन्दु को उदारतापूर्ण देखा जाना चाहिऐ ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है, एवं अपील अपीलांट अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मौजा ग्राम बडोदिया पटवार हल्का बडोदिया तहसील रावतभाटा में प्रार्थी की आराजी जो जमाबंदी संवत् 2070–2073 में खाता संख्या 60 में आराजी संख्या 210 रकबा 0.16 आराजी संख्या 247 रकबा 1.05, आराजी संख्या 261 रकबा 0.44, आराजी संख्या 264 रकबा 0.68, आराजी संख्या 546 रकबा 2.16 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 4.49 प्रार्थी की मालिकाना हक की होकर प्रार्थी की कब्जे काश्त की है ओर आगे बताया कि प्रार्थी हाल में रामगंजमण्डी निवास कर रहा है जिसका नाजायज फायदा उठाकर आराजी संख्या 264 पर विपक्षीगण ने कब्जा कर लिया जिसे बेदखल किया जावे उक्त प्रार्थनापत्र का विपक्षीगण को जवाब का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही व न दोनों पक्षों के प्रकरण में साक्ष्य सबूत लिए बिना व विपक्षी गनी मोहम्मद की प्रकरण में तामिल हुए बिना ही कानून के खिलाफ जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया कि अप्रार्थीगणों को आराजी संख्या 264 से बेदखल कर दिया जावें, विधि विपरित होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.06.2016 को उक्त प्रार्थनापत्र प्रार्थी ने पेश किया जिसे 29.06.2016 को दर्ज कर पेशी दिनांक 04.07.2016 व 28.07.2016 वास्ते तामिल विपक्षीगण हेतु नियत की गई। जिस पर अपीलाण्टगण व विपक्षी सलीम मोहम्मद ने दिनांक 28.07.2016 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिती दी तथा जवाब का अवसर चाहा आगामी पेशी दिनाक 26.08.2016 को जवाब का अवसर देकर आगामी पेशी दिनांक 14.09.2016 को जवाब बंद कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला सुना दिया जब कि प्रकरण में विपक्षी गनी मोहम्मद की तामिल होना बाकि थी जिसका सम्मन जारी नही किया व न साक्ष्य सबूत लिए कानून के खिलाफ जाकरयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में निर्णय कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सिद्धान्तों के विपरित होकर निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त विवादित आराजी संख्या 264 जिसके पुराने नक्बर 96 होकर रकबा 3)3 है जो संवत 2033–2036 की जमाबंदी से स्पष्ट है जिसमें अपीलाण्ट/ विपक्षीगण के पिताजी नाथु पिंजारा व मु0 नन्दु बेवा नुरा पिंजारा के नाम है नाथु व नुरा दोनों भाई होकर कालु जी की संतान थी नुराजी के मरने के बाद नुराजी की जगह मु0 नन्दु का नाम खाते में अंकन हो गया। नाथुजी व नुरा को कालुजी से यह संपति विरासत से प्राप्त हुई थी। अपीलांटगण/विपक्षीगण इस आराजी, पर अपने बापदादाओ के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में पटवारी बडोदिया द्वारा मौका की रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट में पटवारी ने आराजी संख्या 264 रकबा 0.68 हैक्टर पर अपीलाण्ट विपक्षीगण छीतर, छोटु, सलीम, गनी पिता नाथु पिंजारा निवासी बडोदिया का कब्जा काश्त माना है। पुरानी जमाबंदियॉ व खाते की नकल व सरकारी दस्तावेज रेकार्ड से यह साबित है कि यह आराजी संख्या 264 नंदुबाई की खरीदी हुई नहीं थी। नंदु के ससुर कालुजी पिताजी के समय से ही यह पुश्तैनी जायदाद पुश्तैनी विरासत से चली आ रही थी, और जिस समय यह फर्जी बिकाव खत तैयार हुआ उस समय भी यह संपत्ति अविभाजित परिवार की पुश्तैनी जायदाद थी। इसमें नाथु व नुरा दोनों भाइयों में इस भू–सम्पति को कोई भी किसी भी प्रकार से पाति बंटवाडा नहीं हुआ था। और जब तक पांति बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक कोई यह नहीं कह सकता कि मेरा हिस्सा कौनसा है बगैर कानूनी आवश्यकता के यह पुश्तैनी जायदाद किसी प्रकार से ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। यह जो बिकाव खत है इस बिकाव खत से इस जायदाद का कब्जा बेचने वाले ने खरीददार को दिया है यह बिकाव खत में नहीं है। इसमे यह लिखा है कि यह जायदाद पहले से ही रहन बिल कब्ज है। ओर पहले से ही रहन बिल कब्ज कब से ओर रहन की रजिस्ट्री कब कराई थी इसका कोई भी वर्णन बिकाव खत में नहीं है वास्तविक स्थिति यह है कि यह जायदाद कभी भी रहन बिल कब्ज नहीं रही हूँ। तथाकथित बिकाव के दिन भी यह बिकाव खत पुर्णतया शून्य हैं। दोनों भाईयों का पूरा खाता केवल दोनों भाई नुरा व नाथु मिलकर बेच सकते थे अकेले नंदुबाई ने बेचा इसलिए पुरा बिकाव खत शून्य है। इस शून्य बिकाव खत से किसी को कोई हक पैदा नहीं होता है। नंदु को कोई हक नहीं था कि वह दोनों भाईयों नाथु व नुरा के सम्पुर्ण हक को बेच दे जब तक पांति बंटवाडा नहीं हो जाता तब तक नंदु नहीं कह सकती कि नुरा का हिस्सा कौनसा है इसलिए नंदु को नुरा का हिस्सा बेचने का हक नहीं था। जब कि नंदु ने नाथु व नुरा दोनों का हिस्सा बेच दिया वास्तव में नाथु व नुरा में कोई पांति बंटवाडा नहीं हुआ था। इसलिए नंदु को बेचने का हक नहीं था। नाथु व नुरा इन दोनों भाइयों की आराजीयो पर किसी भी मीणा का हक अधिकार कब्जा नहीं रहा हैं। इस काल्पनिक रहन बिल कब्ज से कभी कोई कब्जा ट्रांसफर नहीं हुआ। इसलिए धारा 183 (ब) (स) का प्रार्थनापत्र स्वतः झूंठा है। जब किसी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संपति पर प्रार्थी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा हैं तब यह कथन सर्वथा मिथ्या है कि मंसूरियों यानि विपक्षीगणों ने मीणा से यानि प्रार्थी से कभी भी कब्जा छिना हो इसलिए धारा 183 की दरख्वाश्त पुरे झूंठे तथ्यों पर आधारित हैं ओर यह दरख्वाश्त हर प्रकार से खारिज किए जाने योग्य है। इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं नियमों के अनुसार निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट्स जाति से मीणा होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित वर्ग में आते हैं। जबकि अपीलांट जाति से पिंजारा होकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से अन्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनके द्वारा आपस में भूमि का हस्तांतरण करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के अनुसार अवैध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप रेस्पोडेंट्स कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्च देश से विधिक निर्णय पारित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की भूल/त्रुटि नहीं की गई है, जिस से अपील अपीलांट खारिज किए जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। इस पर विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात् ग्राम बडौदिया तहसील रावतभाटा में स्थित है। उक्त आराजी में से आराजी संख्या 264 रकबा 0.68 हैक्टर जो कि प्रार्थी के मालिकाना हक से उसके खातेदारी में दर्ज है। उक्त कृषि आराजीयात पर विपक्षीगण ने हाल ही में अपने बच्चों की बेहरत शिक्षा–दीक्षा के लिए रामगंजमण्डी जिला कोटा निवास करने लगा तो इसी का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा कर अपने कब्जे में ले रखी है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की आराजी पर अन्य वर्ग का कोई व्यक्ति कब्जा बनायें नहीं रख सकता है। विपक्षीगण/ अपीलांट ने जान बुझकर अपने ताकत के बल पर कब्जा बनाये रखा है जिस कारण प्रार्थी/रेस्पोडेंट अपनी आराजी उपयोग–उपभोग से वचिंत है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा विपक्षीगण/अपीलांट्स को उसकी आराजी संख्या 264 पर से सम्पूर्ण रकबे पर से अवैध कब्जा हटाने हेतु कहा परन्तु विपक्षीगण/अपीलांट्स ने कोई कब्जा नही हटाया न हटाने हेतु तैयार हुए जिस कारण प्रार्थी/रेस्पोडेंट को अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा। इसके साथ ही विवादित आराजीयात प्रार्थी/रेस्पोडेंट की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीदशुदा आराजीयात है, उक्त विवादित आराजीयात में अप्रार्थी/अपीलांट का किसी भी प्रकार से कोई हक अधिकार निहित नहीं है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट के उक्त आराजीयात नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 14.11.1977 से प्रार्थी/रेस्पोडेंट के खातेदारी हक से दर्ज अभिलिखित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हल्का पटवारी पटवार हल्का बडोदिया के रिपोर्ट अनुसार उक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवादित आराजीयात आराजी संख्या 264 पर अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अधीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.2016 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं नियमों के अनुसार निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट जाति से मीणा होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं। जबकि अपीलांट जाति से पिंजारा होकर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनके द्वारा आपस में भूमि का हस्तांतरण करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के अनुसार अवैध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप रेस्पोडेंट्स कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने तक के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2014(1)** पेज संख्या 658 अनवानी श्रीकिशन बनाम हरबक्ष, **RRT 2014(2)** पेज संख्या 1063 अनवानी उगमसिंह बनाम सरकार, **RRT 2014(2)** पेज संख्या 1444 अनवानी पूर्णाराम बनाम संपतराम एवं **RRT 2016-17(Supp.)** पेज संख्या 595 अनवानी अतरसिंह बनाम राजस्व मण्डल पेश किये एवं न्यायिक दृष्टांत पर दृष्टिपात कराया एवं निवेदन किया कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्च आदेश से विधिक निर्णय पारित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की भूल/त्रुटि नहीं की गई है, जिस से अपील अपीलांट्स खारिज किए जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस समाप्त की। बहस के रिवटल में अधिवक्ता अपीलांट ने बताया की उक्त विवादित आराजीयात में अपीलांट के पिताजी नाथुजी व नुराजी का संयुक्त अविभाजित आधा आधा हिस्सा था। नुराजी के मरने बाद नुराजी पत्नी नंदु के नाम इन्तकाल खुल गया। उक्त आराजीयात का बिना पाति बंटवाडा कराए नंदुबाई ने पूरी आराजी संख्या पुरानी 96 नई 264 को रेस्पोडेण्ट जगदीश को दिनांक 06.06.1964 को विक्रय कर दिया जब कि नन्दू उक्त आराजी की 1/2 हिस्से की अधिकारिणी उसे अविभाजित संयुक्त परिवार की पूरी आराजी को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। अवैध बिकाव पत्र के आधार पर रेस्पोडेंट जगदीश नाम केवल मात्र खाते में दर्ज हो गया जब कि कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है तथा अपीलांट अपनी पुश्तैनी आराजी को बाप दादाओं के समय से काश्त करता चला आ रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स विरुद्ध जो आदेश दिया जो पूर्णतया विधि के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। सुनी गई बहस का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ''**क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 006/2016 निर्णय दिनांक 14.09.2016 में किसी प्रकार से विधिक भूल/त्रुटि कारित की गई है?, यदि हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?**''

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.07.2016 एवं 26.08.2016 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर रहें। हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। प्रश्नगत आराजीयात के खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 1 है जिस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेंट जाति से मीणा होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग में आते हैं। जबकि अपीलांट जाति से पिंजारा(मुसलमान) होकर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अधिनियम, 1955 में संशोधन करके धारा 183–बी 1978 में उक्त अधिनियम में जोड़ी गयी है, जिसमें 1970 की स्थिति देखने की बात कही गयी है, अतः उक्त धारा 183–बी 1970 से पहले के प्रकरणों पर लागू नहीं है, जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स के पिता व अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा संवत् 2033–2036 से है, जिसे प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को सम्वत 2033–2036 के बाद कभी भी कब्जे से बेदखल नही किया गया है, ऐसी स्थिति में धारा 183–बी अधिनियम, 1955 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे सम्बन्धी तथ्यात्मक बिन्दु पर पूर्ण विश्लेषण व विवेचन नहीं किया गया है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा 1978 के पहले का है और चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में संशोधन करके धारा 183–बी जोड़ी गयी है, अतः 1978 से पहले के कब्जाशुदा अपीलांट को बेदखल नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का. अवलोकन करना उचित रहेगा, जो निम्न प्रकार है :–

183B. Summary ejectment of trespasser of the land held by a member of a scheduled caste or a scheduled tribe—

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1) Notwithstanding to the contrary contained in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession, without lawful authority of land held by a tenant belonging to scheduled caste or scheduled tribe shall be liable to ejectment on an application of the person or persons entitled to evict him or on the application, in the prescribed manner; of a further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifty times the annual rent.

(2) The inquiry on an application under sub-section (1) shall be made in a summary manner and shall be concluded, as far as practicable, within the prescribed period and after affording a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to be a trespasser.

उक्त धारा 183–बी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में जोड़े जाने की पृष्ठ भूमि इस प्रकार है कि पहले सभी श्रेणी के खातेदारान द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा अधिनियम, 1955 की धारा 183 में ही लाया जाता था। 1970 से पहले उक्त धारा 183 के प्रावधान अनुसार अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा वह व्यक्ति ला सकता था, जो ऐसे अतिक्रमी को बतौर कृषक स्वीकार करने हेतु अधिकृत **(person or persons entitled to admit trespasser as tenant)** था। 1970 में उमा बनाम कजोड़ के प्रकरण (1970 RRD 387) में राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रतिबन्धात्मक प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी खातेदार कृषक किसी भी गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि पर बतौर कृषक स्वीकार करने के लिये अधिकृत नहीं है, इस कारण वह ऐसे अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा भी नहीं ला सकता है। इससे होने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु 1970 में धारा 183 में संशोधन करके शब्दावली **"entitled to admit"** को विलोपित कर शब्दावली **"entitled to eject"** प्रतिस्थापित की गयी। बाद में अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान को अतिक्रमियों से त्वरित राहत दिलाने के प्रयोजन से नवीन धारा 183–बी जोड़ी गयी। धारा 183–बी के अन्तर्गत बेदखली का आवेदन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता था, जो अतिचारी को बेदखल करने के हकदार हैं। इसमें भी कठिनाइयां महसूस की गयी, क्योंकि कभी कभी प्रभावशाली अतिचारी के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति बेदखली हेतु आवेदन नहीं कर पाता था। अतः प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिये वर्ष 1989 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि कोई भी लोक सेवक, जिसे राज्य सरकार इस हेतु अधिकृत करे, विहित तरीके से धारा 183–बी के अन्तर्गत आवेदन कर सकेगा। अधिसूचना दिनांक 05.06.1989 द्वारा समस्त गिरदावर, पटवारी, सरपंच व ग्राम सेवक को इस प्रयोजनार्थ अधिकृत किया गया है। इस प्रकार धारा 183–बी का वर्तमान स्वरुप वस्तुतः अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान के हितों की रक्षा हेतु सामाजिक–आर्थिक सुधारों के प्रति राज्य सकार की

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वचनबद्धता का परिणाम है। किसी भी लोक सेवक से यह अपेक्षित है कि कल्याणकारी शासन के सामाजिक सरोकार की मंशा के अनुरुप संवेदन शीलता के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियों से मुक्त करायेगा। उक्त धारा 183–बी में अथवा उसके उद्देश्यों और कारणों के कथन (statement of Objects and Reasons) में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कि यह नवीन धारा 1978 के बाद कब्जा किये जाने वाले प्रकरणों पर ही लागू होगी।

अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के अन्तर्गत प्रकरण दायर करने के लिये केवल निम्न शर्त हैः–

(1) कि जो व्यक्ति प्रकरण प्रस्तुत कर रहा है वह या तो वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना चाहिये, या ऐसा अधिकारी होना चाहिये जो इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का आदेश देने के लिये अधिकृत हो।

(2) वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में होनी चाहिये।

(3) जिस व्यक्ति के विरुद्ध बतौर अतिक्रमी प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, वह व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति, जनजाति को होना चाहिये, जिसने वादग्रस्त भूमि पर या तो अतिक्रमण कर लिया है या बिना अधिकार के ऐसे अतिक्रमण को बनाये हुये (A trespasser who has taken or retained possession without lawful authority) है।

(4) प्रस्तुत प्रकरण वाद हेतु उत्पन्न होने से 12 साल की मियाद में होना चाहिये।

हस्तगत प्रकरण में निर्विवाद रुप से रेस्पोडेंट/प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, जिसकी अभिलिखित खातेदारी की भूमि पर अपीलांट/अप्रार्थीगण काबिज है जो निर्विवाद रुप से गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, और उनके पास उक्त भूमि पर काबिज रहने का कोई विधिक अधिकार (lawful authority) नहीं है। एक मात्र विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रार्थी द्वारा 2016 में प्रस्तुत धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का प्रकरण वाद हेतु उत्पन्न होने की दिनांक से 12 साल की मियाद में है?

इसके साथ ही अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा ने अपने निर्णय दिनांक 02.01.2017 में अपीलांट को अतिक्रमी माना है किन्तु धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में परिभाषित अतिक्रमी में अपीलांट नहीं आतें है। धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अतिक्रमी को निम्नानुसार परिभाषित किया है :–

(44) "Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा की पत्रावली में पटवार हल्का बडौदिया द्वारा प्रस्तुत मौका के अवलोकन से

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाहिर होता है कि अपीलांट विवादित आराजीयात आराजी संख्या 264 पर काबिज है एवं शेष अप्रार्थी/रेस्पोडेंट की खातेदारी आराजीयात पर अप्रार्थी/रेस्पोडेंट ही काबिज है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में वाद हेतुक उत्पन्न होने की मियाद 12 वर्ष की अवधि के भीतर ही अप्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा बेदखल हेतु कार्यवाही की गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा द्वारा उक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक प्रावधानों के अध्यधीन कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया गया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा द्वारा उक्त प्रकरण में पूर्ण सुनवाई एवं उभयपक्ष का समुचित साक्ष्य के अवसर प्रदान किये जाकर निर्णय पारित किया गया है, जो कि पुष्टि किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार जहां अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.2016 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 006/2016 निर्णय दिनांक 14.09.2016 में किसी भी प्रकार विधिक भूल/त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने से हमारा अभिमत है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा के निर्णय की पुष्टि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हस्तगत अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को सारहीन होने से खारीज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2016 प्रकरण संख्या 006/2016 अनवानी जगदीश बनाम छीतर वगैराह अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.04.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.04.08 19:44:56 IST
Reason: SelfAttested